

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी - संजय कुमार
राजस्व वाद संख्या - 182/2021

1. धर्मलाल सिंह पुत्र राम सिंह जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मन्थूराम पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

दनाम

1. सुमित्रा पुत्री सुरजी देवी पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी निर्ववाला तहसील द जिला श्रीगंगानगर।
2. जयकौरी पुत्री सुरजी देवी पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी भोजपुर तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. इन्द्रा देवी पुत्री सुरजी देवी पत्नी तुलसीराम जाति जाट निवासी लखा हाकन चक 84 आर.बी (बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. सतपाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी रामसरा जाखडान तहसील सुस्तनद जिला श्रीगंगानगर।
5. पृथ्वीराज पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी रामसरा जाखडान तहसील सुस्तनद जिला श्रीगंगानगर।
6. राम सिंह पुत्र हेतराम (फौत)
6/1 राकेश पुत्र राम सिंह जाति जाट निवासी रामसरा जाखडान तहसील सुस्तनद जिला श्रीगंगानगर।
6/2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र राम सिंह जाति जाट निवासी रामसरा जाखडान तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. कौपल्या पत्नी राम सिंह जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. किरण राहू } पुत्रिया राम सिंह जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील
9. नीतू } टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. विमला देवी पुत्री दौलतराम जाति जाट निवासी खाटो का भौंसला तहसील नम्बर चुंगी, हनुमानगढ़ टाउन।



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बलविन्ध सिंह शिन्धु व प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हितेन्द्र मोहन शारदा की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 14.06.2024 को संजय कुमार उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक 650 आर.डी. के खाता संख्या 16/16 में सूरजी देवी पुत्री धनराज का 325/4554 हिस्सा व चक 650 आर.डी. के खाता संख्या 180/172 में 217/4428 हिस्सा, चक 2 एम.डी.आर के खाता संख्या 63/51 में 32/447 हिस्सा, चक 8 एस.एल.डब्ल्यू के खाता संख्या 8 में 1/14 हिस्सा व चक 10 एस.एल.डब्ल्यू के खाता संख्या 181 में 18/253 हिस्सा भूमि को वादीगण को ब0हि0ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मोहर



14/06/24
 (संजय कुमार) गढ़
 उपखण्ड अधिकारी एवम्
 पदेन सहायक कलक्टर
 टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
प्रदर्श के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता		आदेशिका की तामिल	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तामिल		योग	
योग			